संख्या-85/2026/आई/1389622/2026/65-2099/108/2022

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 जुलाई, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में मानसिक मंदित आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान योजनान्तर्गत स्वीकृत एम0 आर0 होम के गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सी-453 दिनांक 06 मई, 2026, सी-864 दिनांक 11 जून, 2026, सी-861 दिनांक 11 जून, 2026 एवं सी-926 दिनांक 16 जून, 2026 के संदर्भ एवं शासनादेश संख्या-67/2026/आई/1282366/2026/फाईल नं0.65-2099/108/ 2022 दिनांक 28.03.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक-2235-02-101-11- मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांगजन के लिए आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में निम्न प्रस्तर-2 में अंकित विवरणानुसार एम0आर0 होम की 04 स्वैच्छिक संस्थाओं को रू0 37.25784 लाख (रूपये सैंतीस लाख पचीस हजार सात सौ चौरासी मात्र) की धनराशि निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(i) जिस कार्य/मद में वित्तीय स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा और इसका समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(ii) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा ।

(iii) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(iv) प्रश्नगत स्वीकृत मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो उसका उत्तर दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(v) यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(vi) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(vii) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने में योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/ गाइडलाइन्स एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(viii) उक्त योजनान्तर्गत जिन स्वैच्छिविक संस्थाओं को जो अनुदान राशि की द्वितीय किश्त निर्गत की जा रही है, उनके द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उनके सुसंगतता के परीक्षण का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(ix) उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(x) उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा 369 एच के अनुसार शासन को अवश्य उपलब्ध कराये जाने तथा निर्गत अनुदान का लेखा समपरीक्षा कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को तत्समय उपलब्ध कराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा।

(xi) प्रश्नगत धन के आहरण एवं व्यय के पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं की सोशल आडिट करा ली गयी है तथा सोशल आडिट के क्रम में ही अपेक्षित अनुदान प्रस्तावित किया गया है।

(xii) प्रश्नगत धन के आहरण एवं व्यय के पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रय गृहों में निवासरत संवासियों का एक बार पुन: मिलान कर लिया गया है।

(xiii) वित्त विभाग के समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं इस शासनादेश में अंकित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiv) भौतिक लक्ष्यों की पुष्टि और लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की द्विरावृत्ति के लिये निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(xv) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xvi) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट ऑफिस में नहीं रखा जायेगा।

(xvii) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xviii) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित समस्त मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजनों के आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्रों का पंजीकरण उ0प्र0 राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(xix) शासनादेश संख्या-67/2026/आई/1282366/2026/फाईल नं0.65-2099/108/ 2022 दिनांक 28.03.2026 की शर्तें यथावत रहेंगी।

2. उक्त कार्य हेतु एम0आर0 होम की **04** स्वैच्छिक संस्था का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रु0 में)

क्र.सं.	**जनपद का नाम जहाँ आश्रय गृह (एम0आर0 होम) संचालित हैं**	**स्वैच्छिक संस्था का नाम व पता**	**अनुदान समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में स्वीकृत धनराशि**	**प्रथम किश्त (60 प्रतिशत) की निर्गत धनराशि**	**द्वितीय किश्त हेतु देय अवशेष (40 प्रतिशत) धनराशि**
1	***2***	***3***	***6***	***7***	***8***
1	हापुड़	अमर जन कल्याण सेवा समिति, ग्राम-महमूदपुर, पो0 देवरनिया, तहसील-बहेड़ी जनपद-बरेली द्वारा समर गार्डन, मंनसूरपुर रोड, निकट तारा चन्द्र इण्टर कालेज, जनपद-हापुड में संचालित	रू0 20,58,300/-	रू0 12,34,980/-	रू0 8,23,320/-
2	वाराणसी	चन्द्रावती एजुकेशनल चैरीटेबल ट्रस्ट, ग्राम व पोस्ट -हरसोस, जनपद-वाराणसी	रू0 23,07,060/-	रू0 13,84,236/-	रू0 9,22,824/-
3	गोरखपुर	मातृछाया चैरिटेबल फाउण्डेशन , गांधी गली, बैंक रोड,जनपद-गोरखपुर	रू0 25,72,560/-	रू0 15,43,536/-	रू0 10,29,024/-
4	कौशामबी	दीपमाला जन कल्याण सेवा संस्थान, ग्राम व पो0-चलौली, तहसील- चायल, जनपद- कौशामबी	रू0 23,76,540/-	रू0 14,25,924/-	रू0 9,50,616/-
योग			**रू0 93,14,460/-**	**रू0 55,88,676/-**	**रू0 37,25,784/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण -11-मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांगजन के लिए आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-E-4-53-X-2026-27-दिनांक: 06-07-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, हापुड़, वाराणसी, कौशाम्बी एवं गोरखपुर।
8. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, हापुड़, वाराणसी, कौशाम्बी एवं गोरखपुर।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/नियोजन अनुभाग-3।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।